राजस्थान सरकार
महाधिवक्ता कार्यालय

प.12(7)राज/वाद 2025/पार्ट/सदस्य सचिव/ जयपुर दिनांकः— 15.10.25

—:बैठक कार्यवाही विवरणः—

विधि एवं विधिक कार्य (राजकीय वादकरण) विभाग के आदेश क्रमांक प.12(7)राज/वाद 2024/पार्ट दिनांक 07 अगस्त 2025 के द्वारा राजकीय वादकरण की समीक्षा,सुधार एवं सुझाव हेतु गठित समिति की प्रथम बैठक **दिनांक 19 सितम्बर 2025 सांय 5.00 बजे** महाधिवक्ता महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गयी, उक्त बैठक में समिति के निम्नांकित सदस्यों/प्रतिनिधियों ने भाग लियाः—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम मय पदनाम
1.	श्री जी.एस. गिल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर।
2.	श्री राजेश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता सह अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर।
3.	श्री महेश पुनेठा, शासन विशिष्ट सचिव, विधि—वादकरण, विधि एवं विधिक कार्य विभाग जयपुर।
4.	श्री ए.एल वैष्णव, शासन संयुक्त सचिव गृह (पुलिस) ,प्रतिनिधि शासन सचिव, गृह विभाग जयपुर।
5.	श्रीमती प्रीति माथुर, शासन संयुक्त सचिव, प्रकोष्ठ—3, प्रतिनिधि शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग जयपुर।
6.	श्रीमती आशा शर्मा, व.संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग जयपुर।
7.	श्री विवेक चौहान, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त विभाग जयपुर।
8.	श्री बनवारी लाल गुप्ता, उप विधि परामर्शी, प्रतिनिधि वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, कार्मिक विभाग जयपुर।
9.	श्रीमती रेखा चौधरी उप विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग जयपुर।
10.	श्री संजय कुमार ,सदस्य सचिव, संयुक्त विधि परामर्शी विधि (विधि प्रकोष्ठ)विभाग जयपुर।

बैठक में राजकीय वादकरण की समीक्षा,सुधार एवं सुझाव के संबंध में प्रारंभिक चर्चा की गयी तथा निम्नानुसार समीक्षा,सुधार एवं सुझाव पर विचार विमर्श किया गयाः—

1. श्रीमान महाधिवक्ता, श्री जी.एस. गिल, अतिरिक्त महाधिवक्ता और श्री राजेश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता सह अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा राजकीय वादकरण के प्रबंधन हेतु मानव संसाधन, आधारभूत संगठन के संबंध में समिति के उपस्थित अन्य सदस्यों से महाधिवक्ता कार्यालय,राज्य सरकार के अन्य विधि अधिकारियों के कार्यालयों और प्रत्येक विभाग में राजकीय वादकरण के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार मानव संसाधन,आधारभूत संगठन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर उक्त को मजबूत करने और महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता के सहायक अधिवक्ताओं की संख्या में वृद्धि करने, महाधिवक्ता कार्यालय,राज्य सरकार के अन्य विधि अधिकारियों के कार्यालयों और विभागीय विधि प्रकोष्ठों में केस—लोड के अनुसार विधि सेवा के अधिकारी, मंत्रालयिक सेवा, तकनीकी सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों की नियुक्ति किया जाना अपेक्षित बताया।

2. श्री जी.एस. गिल, अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष स्तर पर एक नोडल अधिकारी, जो सामान्यतया उप विधि परामर्शी के स्तर से निम्न स्तर का नहीं हो, को नामित कर उसे वादकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जानी अपेक्षित है। उचित संख्या और उचित स्तर के वाद प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की जानी और महत्वपूर्ण प्रकरणों में विभाग के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी तथा राजस्व मामलों में एसडीओ स्तर के अधिकारी को वाद प्रभारी नियुक्त किया जाना अपेक्षित है। नियुक्त नोडल अधिकारी तथा वाद प्रभारी अधिकारियों की

सूचना महाधिवक्ता कार्यालय और विभागीय विधि अधिकारियों/पैरवीरत अधिवक्ताओं को उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है।

3. श्री जी.एस. गिल अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा शिकायत निवारण तंत्र,वादकरण की संभावना का आकलन और अप्रत्याशित/अवांछित वादकरण के अल्पीकरण के संबंध में यह मत व्यक्त किया गया कि राजकीय वादकरण का एक बड़ा हिस्सा सेवा मामलों से संबंधित है,जिसे एक सुदृढ शिकायत निवारण तंत्र को लागू करके काफी हद तक हल किया जा सकता है। विभागों के सचिव स्तर पर ऐसी शिकायत निवारण तंत्रों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए समीक्षा की जावे । जिस पर महाधिवक्ता महोदय और सदस्य सचिव के द्वारा माननीय न्यायालयों के निर्णयों और वादकरण नीति के क्रम में गठित शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ करने और जन साधारण/कार्मिकों से फीडबैक लेने हेतु मंच प्रदान करने पर अपना मत रखा गया जिससे नवाचार के वादकरण के जोखिमों,नए कानून, नियम या नीतियों का मसौदा तैयार करते समय या मौजूदा में महत्वपूर्ण बदलाव करते समय, वादकरण की संभावना का आकलन करने में मदद मिलेगी और विभागों के स्तर पर एक स्वतंत्र जांच भी की जा सकती है, ताकि अप्रत्याशित/अवांछित वादकरण को कम किया जा सके। श्री जी.एस. गिल अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि किसी पक्ष द्वारा विभागों को दिए गए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 के अंतर्गत नोटिस और न्याय मांग के नोटिस/अभ्यावेदन पर उचित कार्रवाई की जावे तथा नोटिस का जवाब योजना/ प्रबंधकर्ता प्रकोष्ठ,अनुभाग के अधिकारी द्वारा समयबद्ध तरीके से कारण सहित दिया जाना चाहिए तथा जवाब में विलम्ब हेतु जिम्मेवारी भी तय की जावे।

4. श्रीमान महाधिवक्ता महोदय और श्री राजेश चौधरी राजकीय अधिवक्ता सह अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा समय–समय पर अधीनस्थ विधायन की जांच की जाकर उन मुद्दों की पहचान करने जो वादकरण का कारण हैं या वादकरण का कारण बन सकते हैं पर अपने विचार व्यक्त किये तथा उनका यह मत रहा कि अधीनस्थ विधायन में परिलक्षित होने वाले अस्पष्ट प्रावधानों, प्रक्रियागत कमियों, परिचालन चुनौतियों आदि को समाप्त करने पर विशेष जोर दिया जावे। इस तरह के प्रयास ऐसे कानून से उत्पन्न होने वाले वादकरण की संभावना को सीमित कर सकते है। इसी तरह, किसी भी प्रशासनिक नीति या कार्रवाई को अंतिम रूप देते समय, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा वादकरण की संभावनाओं को कम करने के लिए सभी संभावित तरीकों पर विचार किया जावे। महाधिवक्ता महोदय के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि कार्मिक विभाग/वित्त विभाग व अन्य विभाग के द्वारा जारी अधिनियम,नियम, अधिसूचना और परिपत्र की वैधता को चुनौती दिये जाने के प्रकरण को संबंधित जारीकर्ता विभाग के द्वारा ही कन्टेस्ट किया जावे। उदाहरण के लिये रिकवरी संबंधी प्रकरण,दिव्यांगजन प्रमाण पत्र सत्यापन संबंधी प्रकरण, निविदा निरस्तीकरण, खान आवंटन, आबकारी प्रकरण। सेवा से संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पदोन्नतियों के प्रकरण तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही,प्रशासनिक स्तर पर मामलों के निपटान में देरी से बचने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर उचित दिशा–निर्देश जारी किये जावें तथा उनकी पालना और प्रकरणों की समीक्षा की जानी अपेक्षित हैं। अनुबंधों से संबंधित वादकरण की अधिक संख्या वाले विभागों को संवेदकों और हितधारियों से प्राप्त संचार/सूचनाओं का तुरंत और प्रभावी ढंग से समाधान करने, परियोजना कियान्वयन के दौरान उठाए गए मामलों या दावों की समीक्षा की जावे। अनुबंध संबंधी दस्तावेजों की प्रारंभिक समीक्षा और जांच सहित प्रस्तावित अनुबंध प्रावधानों में विसंगतियों और अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है, जो बार–बार विवादों को जन्म देते हैं। किसी भी प्रावधान की भिन्न व्याख्याओं को खत्म करने और विवादों को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता को कम करने के लिए अनुबंध दस्तावेजों की समीक्षा की जानी अपेक्षित हैं।

5. श्री राजेश चौधरी राजकीय अधिवक्ता सह अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि धारा 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पुर्वानुमति के प्रकरणों का त्वरित निस्तारणअपेक्षित है तथा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवासन एवं निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 6ए की उप धारा 3 में गोवंश परिवहन में प्रयुक्त साधन के निस्तारण की एकमात्र शक्ति प्राधिकृत अधिकारी को है तथा उसके निस्तारण में अन्य न्यायालय या अधिकरण की शक्तियां विवर्जित है,के संबंध में अपीलीय प्रावधान किये जाने अपेक्षित हैं।

6. श्रीमान महाधिवक्ता ,श्री जी.एस. गिल अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा वादकरण की समीक्षा के संबंध में यह मत व्यक्त किया गया कि एक ही तथ्य या लगभग एक ही विधि प्रश्न से संबंधित समान प्रकरण विभिन्न पीठों के समक्ष लंबित हैं तो उसे एक न्यायालय/न्यायाधिकरण आदि में स्थानांतरित करने का हर संभव प्रयास किया जावे और उसे एकसमान न्यायनिर्णयन और निर्णय के लिए टैग करवाया जावे। वादकरण में एक से अधिक विभाग शामिल हैं तो संबंधित विभाग, जिसके विरुद्ध मुख्य राहत मांगी गयी है, कार्यवाही के आरंभिक चरण से लेकर उसके निष्कर्ष तक मामले के अन्य पक्षों के साथ समन्वय करे, ताकि मामले का प्रभावी बचाव सुनिश्चित किया जा सके तथा प्रकरण में एक से

अधिक वाद प्रभारी अधिकारी/अधिवक्ता की नियुक्ति से बचा जावे। जब एक से अधिक विभागों से राहत मांगी जाती है, तो प्रमुख विभाग को संबंधित वाद प्रभारी अधिकारी एक ही अधिवक्ता से पैरवी व जवाब की कार्यवाही कराये और प्रकरण में एक ही अधिवक्ता से पैरवी के संबंध किसी प्रकार की कठिनाई होने पर प्रकरण महाधिवक्ता और विधि विभाग के संज्ञान में लाया जावे। वादकरण की कुशल निगरानी के लिए, सभी विभागों को न्याय विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (LITES) का प्रयोग करते हुये नोडल अधिकारी, उपयोगकर्ता और अधिवक्ताओं के द्वारा नियमित रूप से अपने मामलों की स्थिति को अपडेट किया/करवाया जावे और लाइट्स में अपडेशन, अधिवक्ताओं की आईडी मैपिंग की कार्यवाही करायी जावे और अपेक्षित प्रशिक्षण भी कराया जावे। प्रत्येक विभाग के महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यालय ज्ञापन/दिशानिर्देश/परिपत्रों को एक समेकित परिपत्र के रूप में संकलित और अद्यतन किया जाए तथा उसे संबंधित विभाग की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जावे। अवमानना प्रकरणों में पालना की जा चुकी है तो उन्हें पालना के आधार पर खारिज करवाया जावे, लंबित याचिकाएं जो समय के साथ सारहीन हो गयी है को सूचीबद्ध करा सारहीनता के आधार पर खारिज करवाया जावे। वादकरण एवं अवमानना प्रकरणों हेतु विभाग स्तर पर केन्द्रीकृत व्यवस्था अपनायी जाकर विधि प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी के द्वारा पैरवीरत अधिवक्ताओं के सतत संपर्क में रह कर प्रकरणों की दिन प्रतिदिन समीक्षा की जावे। अवमानना प्रकरण के नोटिस प्राप्त होते ही निर्णयाधीन पालना सुनिश्चित की जावे क्योंकि अवमानना सुनने वाली पीठ के पास प्रकरण को गुणावगुण पर सुनने का प्रावधान नहीं हैं तथा अपील में स्थगन नहीं होने की स्थिति में निर्णयाधीन पालना के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प राज्य सरकार के पास नहीं होता है।

7. महाधिवक्ता महोदय और श्रीमती आशा शर्मा, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के द्वारा निर्णयों/आदेशों की अपील तथा नो अपील के संबंध में वादकरण नीति के अन्तर्गत गठित पीएमसी की बैठक परिसीमा के अंतर्गत करायी जाने तथा पीएमसी में प्रकरण रखे जाने से पूर्व अपील प्रस्तुत करने हेतु एक उप समिति का गठन किया जाने के संबंध में मत व्यक्त किया गया। जिस पर समिति के अन्य सदस्यों के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि एक उप समिति जिसमें संबंधित प्रशासनिक विभाग का वरिष्ठतम विधि अधिकारी, लेखा सेवा अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी हों और आमंत्रित विभाग, वित्त विभाग और कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि विचार विमर्श उपरांत अपील किये के जाने के मामलों में अविलम्ब अपील करने तथा नो अपील के प्रकरणों को वर्तमान में प्रचलित पीएमसी के समक्ष रखे जाने का प्रावधान वादकरण नीति में किया जाना अपेक्षित है।

8. श्रीमान महाधिवक्ता, श्री जी.एस. गिल अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि संविदात्मक/वाणिज्यिक मामलों में मध्यस्थ अवार्ड और न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अगले उच्च फोरम में अपील/चुनौतियाँ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए की जानी चाहिए। सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अधिनियम और न्यायालय के आदेशों में दी गई समय–सीमा का पालन किया जाए। अपील/चुनौती का निर्णय अवार्ड/आदेश से असहमति के आधार पर नहीं बल्कि केवल मामले के गुण–दोष के आधार पर किया जावे। अपील/चुनौती की सफलता की संभावना और विफलता के परिणामों पर वास्तविक/तर्कसंगत रूप से विचार किया जावे। ऐसे मामलों में जहाँ ब्याज देयताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, निचले फोरम के निर्णय पर असफल अपीलों को प्राथमिकता नहीं देकर निर्णय स्वीकार करने को प्राथमिकता दी जावे। प्रत्येक विभाग में विधि प्रकोष्ठ द्वारा जोखिम–लाभ विश्लेषण के आधार पर परिणाम का विश्लेषण किया जावे और किसी भी मामले में आर्थिक हित की मात्रा तथा सफलता की संभावनाओं/असफलता के परिणामों का यथार्थवादी आकलन करें जो यह निर्णय लेने के लिए मानदंड के रूप में काम कर सकता है कि उच्च मंच पर अपील को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए।

9. श्री विवेक चौहान, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि संविदात्मक/वाणिज्यिक मामलों में अपीलीय फोरम के समक्ष अपील करने के लिए वित्तीय सीमा निर्धारित करना महत्वपूर्ण है और राशि या ऐसी वित्तीय सीमा जो विभाग द्वारा तय की जा सकती है (कर मामलों को छोड़कर) से जुड़े वादकरण को आगे बढ़ाने की सलाह का मूल्यांकन अपील समिति द्वारा किया जाना चाहिए। वित्त विभाग अपील दायर करने के लिए वित्तीय सीमाओं को निर्दिष्ट करने वाले दिशानिर्देश जारी कर सकता है और सभी संबंधितों को प्रसारित कर सकता है और जहां अत्यधिक वित्तीय भार के मामले हो वहां पैरवीरत अधिवक्ता के संज्ञान में उक्त स्थिति लायी जावे ताकि राज्य सरकार का समुचित पक्ष माननीय न्यायालयों के समक्ष रखा जा सके।

10. श्रीमान महाधिवक्ता, श्री जी.एस. गिल अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि अपीलें और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) को अनावश्यक और अनुचित रूप से दाखिल करने को हतोत्साहित किया जावे। अपीलो/एसएलपी का सहारा

नियमित रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि केवल तभी लिया जाना चाहिए जब इसके लिए असाधारण और विशेष परिस्थितियां मौजूद हों।

11. श्रीमान महाधिवक्ता, श्री जी.एस. गिल अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा यह मत भी व्यक्त किया गया कि आगामी बैठक में इस समिति में नामित व्यक्ति ही आवश्यक रूप से उपस्थिति आये और यदि किसी सदस्य का प्रशासनिक कारणों से उपस्थित नहीं हो सकने की स्थिति हो तो उक्त स्थिति में महाधिवक्ता महोदय को सूचित किया जावे, साथ ही आमंत्रित विभाग के द्वारा उस पदाधिकारी को ही नामित किया जावे जो प्रशासनिक निर्णय लेने के लिये सक्षम हो।

आगामी बैठक में उक्त बिन्दुओं की प्रगति पर चर्चा के प्रस्ताव के साथ बैठक सधन्यवाद संपन्न की गयी।

संजय कुमार
(सदस्य सचिव)
संयुक्त विधि परामर्शी
विधि (विधि प्रकोष्ठ)विभाग,जयपुर

क्रमांक प.12 (7) राज/वाद/2025/पार्ट/सदस्य सचिव/ जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक माननीय विधि मंत्री महोदय राजस्थान ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान ।
4. निजी सचिव महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य (राजकीय वादकरण) विभाग जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन विशिष्ट सचिव, विधि– वादकरण, विधि एवं विधिक कार्य विभाग जयपुर।
12. श्री जी.एस. गिल , अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ।
13. राजकीय अधिवक्ता सह अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर।
14. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, कार्मिक विभाग जयपुर।
15. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त विभाग जयपुर।
16. संयुक्त विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग जयपुर।
17. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
18. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
19. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर/ पीठ जयपुर/नई दिल्ली ।
20. राजकीय अधिवक्ता जोधपुर/ पीठ जयपुर।
21. प्रशासक वादकरण राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/ पीठ जयपुर
22. एनालस्टि कम प्रोगामर सह उप निदेशक, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
23. रक्षित पत्रावली।

(सदस्य सचिव)
संयुक्त विधि परामर्शी
विधि (विधि प्रकोष्ठ)विभाग,जयपुर